

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(13)एमई/ग्रुप-1/78 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 14.2.2014

:: आदेश ::

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की अनुशांषा पर महामहिम राज्यपाल महोदया ने निम्न लिखित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां सहायक आचार्य मानसिक रोग के पद पर अस्थाई रूप से वेतनश्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे 6600/-) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफ.डी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दर पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20,200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

क्र.स.	नाम एवं पता	जन्म तिथि	वर्ग	नियुक्ति/पदस्थापन मेडिकल कॉलेज	मेरिट संख्या
1.	डॉ० गोरव राजेन्द्र बी-2, राजापार्क, गोविन्द मार्ग, पिन्क स्क्वायर माल के सामने मेन्टल हॉस्पिटल रोड़, जयपुर।	05.05.1977	सामान्य	मेडिकल कॉलेज जयपुर	4
2.	डॉ० विनोद कुमार 3/25 दडिया भवन, रोड़ न. 3 पीरू सिंह सर्किल के पास झुन्डूनु।	25.07.1975	पिछड़ा वर्ग (बी.सी)	मेडिकल कॉलेज उदयपुर	5
3.	डॉ० सुरेश चन्द गोचर, 16 घाकड़ो का मोहल्ला गांव जाखडोंन्द, पोस्ट किशोर पुरा, तहसिल दीगोद, कोटा।	25.05.1981	विशेष पिछड़ा वर्ग (एस. बी.सी.)	मेडिकल कॉलेज उदयपुर	8
4.	डॉ० चरण सिंह जीलोवा, मोहल्ला बलाईयान, गांव एवं पोस्ट जीलों का तहसील नीम का थाना जिला सीकर।	21.11.1984	अनुसूचित जाति	मेडिकल कॉलेज अजमेर	10
5.	डॉ० पार्थ सिंह मीणा, ए-10, शिव शक्तिनगर, जगतपुरा रोड़ मालवीय नगर, जयपुर।	13.02.1980	अनुसूचित जनजाति	मेडिकल कॉलेज अजमेर	11

उक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार की शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2)विभाग के परिपत्र संख्या प.8(1)कार्मिक /क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त / नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के

Ray
14/2/14

मैमोरण्डम क्रमांक 13(1) वित्त /नियम /2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशनयोजना के अन्तर्गत होंगी एवं वित्त (नियम)विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5) वित्त /नियम /2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावें शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्म तिथि उनके सैकण्डरी स्कूल प्रमाणपत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति माननीय न्यायालय में दायर प्रकरण एसबीसीडब्ल्यूपी नं. 6619/2009 के निर्णय के अध्याधीन होगी।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

उपरोक्त नियुक्तियां सेवा नियमों के अध्याधीन निबन्धको एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्याधीन होगी।

आज्ञा से,

Shay
14/2/14

(कैलाश चन्द्र राव)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ 7(47) भर्ती /गोपनीय /2010-11/254 दिनांक 02.09.2013 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/उदयपुर /अजमेर।
5. सम्बन्धित चिकित्सक (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।
6. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

Wm
14/2/14

(धन्ना लाल)
सहायक शासन सचिव